



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234292
CG-DL-E-17032022-234292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1163]
No. 1163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

का.आ. 1203(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ) दिनांक 04.02.1999 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-2 के पानागढ़ से कोलकाता सेक्शन के 516.000 किमी से 670.000 किमी तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है ;

तथा जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2671(अ) दिनांक 02.11.2012 तथा का.आ. 896(अ) दिनांक 26.03.2014 के तहत संशोधन द्वारा यांत्रिक वाहनों पर पलसित से डनकुनी सेक्शन के 587.853 किमी से 651.602 किमी तक चार लेन के उपयोग के लिए शुल्क उदगृहित और संग्रह करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

तथा जबकि, प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में, बीओटी (टोल) आधार पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय कॉरीडोर एनएच-19 के पलसित से डनकुनी सेक्शन 588.870 किमी से 652.700 किमी तक (कुल डिजाइन लंबाई 63.830 किमी) के छह लेन हेतु मैसर्स पलसित डनकुनी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड , जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल/1101, हीरानंदानी, नॉलेज पार्क, टेक्नोलॉजी स्ट्रीट, पवई, मुंबई, मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत, 400076 , भारत में है(जिसे इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा जाए), के साथ करार (जिसे इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा जाए) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5.12.2008 के नियम 3 के साथ पठित और संशोधित नियम सा.का.नि.950(अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि.15 (अ), तारीख 12.1.2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12. 10.2011, और सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29.12.2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015 और करार की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रतिफल, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की कुल लम्बाई 63.830 कि.मी. [जिसमें 62.950 कि.मी. की सड़क और 880 मीटर की संरचनाएं शामिल हैं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 8.800 कि.मी. है](निर्माण अवधि के दौरान) तथा सड़क की कुल लम्बाई 63.830 कि.मी. [जिसमें 62.4054 कि.मी. की सड़क और 1424.6 मीटर की संरचनाएं शामिल हैं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 14.246 कि.मी. है] (छह लेन को पूर्ण करने के पश्चात) के चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत एवं संग्रह करती है एवं उक्त रियायतग्राही को सीओडी की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा प्राधिकरण से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर, यथास्थिति, अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना बीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार या अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोधय और संदेय होगा :

शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनैज)	निर्माण अवधि के दौरान		निर्माण अवधि के पश्चात	
	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में दनकुनी गांव के पास एनएच-19 के डिजाइन किमी 647.230 पर।	62.950 कि.मी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर]	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	62.4054 कि.मी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर]	सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान	निर्माण अवधि के दौरान			निर्माण अवधि के पश्चात		
	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए हेतु संरचनाओं की लम्बाई [^] (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई* (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में दनकुनी गांव के पास एनएच-19 के डिजाइन किमी 647.230 पर।	0.880 [^]	8.800	किसी वार्षिक वृद्धि के बिना ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 75%	1.4246 ^{^^}	14.246	सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नानुसार है;

	चैनेज		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	588.986	589.053	बड़ा पुल	0.067
2	599.859	599.926	फ्लाईओवर	0.067
3	607.088	607.161	फ्लाईओवर	0.073
4	618.588	618.661	फ्लाईओवर	0.073
5	627.924	627.996	बड़ा पुल	0.072
6	633.616	634.144	सिंगूर आरओबी	0.528
कुल				0.880

^{^^}विवरण निम्नानुसार है;

	चैनेज		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	588.986	589.054	बड़ा पुल	0.067
2	599.859	599.926	फ्लाईओवर	0.067
3	607.087	607.161	फ्लाईओवर	0.074
4	618.588	618.662	फ्लाईओवर	0.074
5	627.923	627.997	बड़ा पुल	0.074
6	633.6107	634.1493	सिंगूर आरओबी	0.5386
7	651.700	652.230	दनकुनी आरओबी	0.530
कुल				1.4246

3. पूरा होने की निर्धारित तिथि (नियत तिथि से 910 दिन) और परियोजना के वास्तविक समापन की तारीख के बीच विलंबित अवधि के लिए, यदि इसमें देरी हुई हो, कोई प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस नियम के प्रयोजनार्थ, परियोजना के किसी भी अनंतिम समापन को परियोजना का पूर्ण होना नहीं माना जाएगा।

4 जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के नियम 10 के उप नियम (1ए) में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई परियोजना राजमार्गों की लम्बाई के आधार पर की जायेगी। उसे रियायतग्राही के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तदनुसार उसमें उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधान के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि सीओडी से 6 (छह) माह की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/21-22/फीनोटिफिकेशन/बीओटी/पलसित-डनकुनि सेक्शन (588.870-652.700)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2022

S.O. 1203(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78 (E) dated 04.02.1999 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 516.000 to km 670.000 of Panagarh to Calcutta Section of National Highway No. 2 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification S.O. 2671(E) dated 02.11.2012 and amendment vide S.O. 896(E) dated 26.03.2014 of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four lane of Palsit to Dankuni section from km 587.853 to km 651.602 .

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Palsit Dankuni Tollway Private Limited having its registered office at 11th Floor/1101, Hiranandani, Knowledge Park, Technology Street, Powai, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400076 , India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”) for six laning of National Corridor NH-19 from Palsit to Dankuni section from km 588.870 to km 652.700 (total design length 63.830 km) in the state of West Bengal under Bharatmala Pariyojana on BOT (Toll) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 2(E) dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 and its subsequent amendments upto bid due date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total road length of 63.830 km [including 62.950 km road and 880 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 8.800 km] (during construction period) and for total road length of 63.830 km [including 62.4054 km road and 1424.6 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 14.246 km] (after completion of six laning) for use of four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) or on getting the Completion Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the BOT project.

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Location of Fee Plaza (chainage)	During Construction Period		After Construction Period	
	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 647.230 of NH-19 near Dankuni village in Hooghly district of West Bengal .	62.950 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	75% of the base rates mentioned in Table-1 above without any annual increase	62.4054 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 .

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Location of Fee Plaza (chainage)	During Construction Period			After Construction Period		
	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 647.230 of NH-19 near Dankuni village in Hooghly district of West Bengal .	0.880^	8.800	75% of the base rates mentioned in Table-1 above without any annual increase	1.4246^^	14.246	100% of the base rates mentioned in Table-1

^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	588.986	589.053	Major Bridge	0.067
2	599.859	599.926	Flyover	0.067
3	607.088	607.161	Flyover	0.073
4	618.588	618.661	Flyover	0.073
5	627.924	627.996	Major Bridge	0.072
6	633.616	634.144	Singur ROB	0.528
Total				0.880

^^The detail is as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	588.986	589.054	Major Bridge	0.067
2	599.859	599.926	Flyover	0.067
3	607.087	607.161	Flyover	0.074
4	618.588	618.662	Flyover	0.074

5	627.923	627.997	Major Bridge	0.074
6	633.6107	634.1493	Singur ROB	0.5386
7	651.700	652.230	Dankuni ROB	0.530
Total				1.4246

3. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion (910 days from the Appointed Date) and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 285.00 (Rupees Two Hundred Eighty Five only) for the year 2021-22 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from COD.

[F. No. NHAI/13013/CO/21-22/FeeNotification/BOT/Palsit-DankuniSection(588.870-652.700)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.